# अध्याय - 22

## कब्जे में बदलाव की विलंबित सूचना

केवल पुनरुद्धार वाली संपत्तियों के मामले में, जहां पट्टाधारक बिक्रय अनुमति पत्र या सेल डीड (बिक्री विलेख) की शर्तों के अनुसार समय पर सेल डीड के पंजीकरण की सूचना नहीं देता है, खरीददार पर 100/- रु. से अधिक का अर्थदंड नहीं लगाया जाएगा।

नोट बुकः

(i) कुछ नियत प्रकार के पट्टों संबंधी सूचना स्थानीय प्राधिकारी को दी जाती है। स्थानीय प्राधिकारी का अर्थ भूमि एवं विकास कार्यालय है न कि कोई स्थानीय निकाय।

(ii) संपत्ति को मृतक व्यक्ति के विधिक उत्तराधिकारियों के नाम स्थानापन्न करने हेतु विलंबित सूचना दिए जाने पर किसी प्रकार का विलंब शुल्क नहीं लगाया जाएगा;

(iii) इसी प्रकार हस्तांतरण के उन मामलों, में जिनमें सह-पट्टाधारक होंगे, भी कोई अर्थदंड नहीं लगाया जाएगा।